अनुदान संख्या 7 – रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग
GRANT No. 7–DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	198,50,00	198,51,00	129,09,62	–69,41,38
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				69,08,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	58,50,00	83,67,00	80,44,02	–3,22,98
पूरक	Supplementary	25,17,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,23,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1179.00	1044.00	1043.95	–0.05
पु.	R.	–135.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	2090.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–2090.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries					
मू.	O.	16581.00				
पू.	S.	1.00		11899.00	11865.67	–33.33
पु.	R.	–4683.00				

(I) 2090.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) 'पेट्रो रसायन उद्योग - अन्य व्यय - असम गैस क्रेकर परिसर को आर्थिक सहायता'' - 1790.00 लाख रु.; और

(खा) "रसायन एवं औषध निर्माण उद्योग - दवा तथा औषध निर्माण - राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान'' - 300.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451'' - "सचिवालय - रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग'' के अंतर्गत 135.05 लाख रु. की बचत (1179.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रकाशन के लिए नए प्रस्तावों के प्राप्त न होने और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना आबंटन में समग्र कमी किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2852'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "औषध निर्माण उद्योग - अन्य व्यय'' -

(I) Provision of Rs.2090.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "2552" – under the following heads:-

(A) "Petrochemicals Industries- Other Expenditure - Subsidy to Assam Gas Cracker Complex" - Rs.1790.00 lakhs; and

(B) "Chemicals & Pharmaceuticals Industries:- Drugs & Pharmaceuticals- National Institute of Pharmaceuticals Education & Research" - Rs.300.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Chemicals and Petro-chemicals" - saving of Rs.135.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1179.00 lakhs) was due to non-receipt of fresh proposals for publication and overall reduction in XI[th] Five Year Plan allocation.

(III) Under Major Head "2852" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Petrochemical Industries - Other Expenditure" –

(क) ''केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 949.72 लाख रु. की बचत (2376.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''असम गैस क्रेकर परिसर को आर्थिक सहायता'' - 520.31 लाख रु. की बचत (4263.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना आबंटन में समग्र कमी किए जाने के कारण हुईं।

(खा) ''रसायन और औषध निर्माण उद्योग'' -

(क) ''रसायन और कीटनाशक - भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम 1985'' - 275.02 लाख रु. की बचत (725.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भोपाल गैस विभीषिका पीड़ितों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''दवा और औषध निर्माण'' -

(i) ''राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान'' - 210.69 लाख रु. की बचत (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 4867.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्यारहवीं पचंवर्षीय योजना आबंटन में समग्र कमी किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''राष्ट्रीय औषध निर्माण मूल्य निर्धारण प्राधिकरण'' - 1086.10 लाख रु. की बचत (1741.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की वजह से एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली संबंधी कंप्यूटरीकरण की स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(iii) ''औषध निर्यात संवर्धन स्कीम'' - 1634.58 लाख रु. की बचत (1755.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की वजह से फार्मा की नई स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Central Institute of Plastics Engineering and Technology" – saving of Rs.949.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2376.00 lakhs); and

(b) "Subsidy to Assam Gas Cracker Complex" - saving of Rs.520.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4263.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to overall reduction in XIth Five Year Plan allocation.

(B) "Chemicals and Pharmaceuticals Industries" –

(a) "Chemicals and Pesticides – Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of claims) Act, 1985" – saving of Rs.275.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.725.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Bhopal Gas Leak Disaster Victims.

(b) "Drugs and Pharmaceuticals" -

(i) "National Institute of Pharmaceuticals Education & Research – saving of Rs.210.69 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4867.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2008) was due to overall reduction in XIth Five Year Plan allocation.

(ii) "National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)" – saving of Rs.1086.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1741.00 lakhs) was due to non-finalisation of the scheme for computerization on Integrated Management Information System owing to procedural formalities.

(iii) "Pharmaceutical Export Promotion Scheme" – saving of Rs.1634.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1755.00 lakhs) was due to non-finalization of new schemes of Pharma owing to procedural formalities.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (322.98 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 2517.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 13 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (323.00 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

2. In the capital section of the grant, the overall savings(Rs.322.98 lakhs) constituted 13 percent of the supplementary grant of Rs.2517.00 lakhs obtained in March, 2008 and 4 percent of the total sanctioned provision. Amount surrendered(Rs.323.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''6857'' रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6857" Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries				
मू.	O.	3550.00			
पू.	S.	2517.00	5960.00	5960.00	. .
पु.	R.	–107.00			

(I) 202.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.202.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads.

(II) ''दवा और औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.'' के अंतर्गत 101.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2017.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2118.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की सेफालोस्पोरिन परियोजना के लिए डब्ल्युएचओ - जीएमपी कम्प्लेंट न्यू पाउडर इंजेक्टिबल सुविधाओं पर निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण 101.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Drugs and Pharmaceutical Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings - Hindustan Antibiotics Ltd." – the original provision of Rs.101.00 lakhs was augmented to Rs.2118.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2017.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.101.00 lakhs - due to less utilization of funds on WHO – GMP Complaint new powder injectable facilities for CEPHALOSPORIN Project of Hindustan Antibiotics Limited.

(III) ''रसायन और कीटनाशक उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - हिंदुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड'' के अंतर्गत 493.00 लाख रु. की बचत (1343.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से डीडीटी के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होने की वजह से कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(III) Under "Chemicals and Pesticides Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Hindustan Insecticides Limited" - saving of Rs.493.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1343.00 lakhs) was due to less utilisation owing to receipt of subsidy for DDT from Ministry of Health and Family Welfare.

3. उपर्युक्त बचतें ''दवा और औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिक्ल्स लि.'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 491.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनिवार्य अनुसूची - एम की इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिक्ल्स लि. के अनुपालन के लिए तत्काल आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. The above savings were partly offset by excess under "Drugs and Pharmaceutical Industries- Loans to Public Sector and Other Undertakings – Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited" - excess of Rs.491.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2.00 lakhs) was due to urgent requirement for mandatory schedule – M compliance of Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited.